

कायालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

(75)

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/समानपरीक्षा/10-11 दिनांक-27.04.2011

समस्त उपनिदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा

विषय:-परीक्षा परिणाम सत्र 2010-11 के सम्बन्ध में।  
प्रसंग:-प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा जयपुर  
के पत्रांक प.21(19)शिक्षा-1/प्राशि/2009 दिनांक  
31.03.2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रानुसार राजस्थान निःशुल्क  
ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 निर्मित कर राज्य सरकार द्वारा  
29मार्च 2011 को अधिसूचित किये गये हैं।

उक्त पत्र के दिशानिर्देश बिन्दु संख्या (च) में वर्णित धारा-10 के  
प्रावधाननुसार किसी भी बालक को न तो किसी कक्षा में रोका जायेगा और ना ही  
प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा। उक्त दिशानिर्देश  
की पालना सत्र 2010-11 के परीक्षा परिणाम में कराना सुनिश्चित करें।

27/4/11  
निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर।

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
  2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
  3. आयुक्त माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय, बीकानेर।
  4. समस्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
  5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
  6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
  7. संपादक शिविरा पत्रिका को प्रकाशनार्थ 7 प्रतियों सहित।
  8. रक्षित पत्रावली।

27/4/11  
निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर